हनुमान सिंह वगैरा बनाम मुलायम वगैरा

मु० नं० 20/2013 वाद

15/5/19 प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/6/19 को पेश हो।

27/6/19 वकिलों द्वारा आज काण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 16/7/19 को पेश हो।

16/7/19 वकील वादी उप० साक्ष्य हेतु समय चाहते है आगामी पेशी पर साक्ष्य आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 06/8/19 को पेश हो।

06/8/19 वकील वादी उप० गवाह हनुमान सिंह, ग्यान सिंह, व विजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र साक्ष्य के पेश हुए। सत्यापन करवाया गया। दस्तावेज पेश हुए जो शा० मि० किये गये। वकील वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्य वादी बंद की जाती है पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 19/8/19 को पेश हो।

विजेन्द्र सिं

हनुमान सि

19/8/19 वकील वादी उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 27/8/19 को पेश हो।

27/8/19 वकील वादी उप० प्रा० पत्र 06 R 17 CPC व दस्तावेज पेश हुए। प्रा० पत्र पर सुना गया। प्रा० पत्र 06 R 17 CPC का स्वीकार किया जाता है संशोधित वाद पेश हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

न्यायाल
मुकदमा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–20/2013

उनवान

1. हनुमानसिंह पुत्र अमरसिंह
2. कमला कंवर पत्नी स्व. शेरसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र स्व. शेरसिंह
4. शक्तिसिंह पुत्र स्व. शेरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमला कंवर
5. करणी सिंह पुत्र स्व. शेरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमला कंवर
6. पुष्पा कंवर पुत्री स्व. शेरसिंह
7. नेना कंवर पुत्री स्व. शेरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर राज.

–वादीगण

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र गुल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)
2. उपपंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय, चौमूं, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम
5. अर्जुन पुत्र भागीराथ
6. श्यामाराम पुत्र भुदाराम
7. कमलादेवी पत्नी स्व. सरदारमल
8. दिनेश कुमार पुत्र स्व. सरदारमल
9. राकेश कुमार पुत्र स्व. सरदारमल
10. सुनिता देवी पुत्री स्व. सरदारमल

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर
11. रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह
12. हरिसिंह पुत्र अमरसिंह
13. श्रवणसिंह पुत्र अमरसिंह
14. कमलादेवी पत्नी स्व. छिगनलाल
15. देवीलाल पुत्र छिगनलाल
16. सुरेश पुत्र छिगनलाल
17. सागरमल पुत्र सेवाराम
18. छोटूराम पुत्र छिगनलाल
19. कोयली देवी धर्म पत्नी मूंगाराम

    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तसहील चौमू, जिला जयपुर
20. बाबूलाल पुत्र चुनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सिरसा, तहसील चौमू, जिला जयपयुर।
21. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Devyani
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–27.08.2019

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.) में हाल खसरा नम्बर 583/1623 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 586 रकबा 3.15 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 590 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 592 रकबा 5.77 है0, ख0नं0 593 रकबा 2.36 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 595 रकबा 5.25 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 17.67 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वाद पत्र में विवाद ग्रस्त भूमि है। वादी संख्या 1 हनुमानसिंह पुत्र अमरसिंह व वादीगण संख्या 2 ता 5 के पिता/पति शेरसिंह पुत्र अमरसिंह ने वाद पत्र में वर्णित भूमि में से अपने हिस्स 3/20 अर्थात् 2.65 हैक्टेयर में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 के अनुसार भूमि 2.25 हैक्टेयर का बेचान किया था तथा शेष 0.40 हैक्टेर भूमि वादीगण के पास रही थी। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है तथा राजस्व नियमों के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 के अनुसार भूमि 2.25 हैक्टेयर का ही नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खुलना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से जरिये नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 01.04.1998 मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज न कर वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा 3/20 भाग अर्थात् 2.65 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया अर्थात् विक्रित भूमि से अधिक भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। यह एक भारी कानूनी भूल है, जिसको राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है वह विक्रित भूमि के विक्रित हिस्से से अधिक भूमि जो उसके नाम दर्ज हो गई है, वह गैर कानूनी तरीके से उक्त विवादग्रस्त भूमि का बेचान व हस्तान्तरण करना चाहता है। जबकि उसे विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 के विक्रय पत्र अनुसार 2.25 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि को बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण का मूल वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा वादीगण को हक अधिकार हांसिल है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती तक किसी हिस्से को बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही कोई विक्रय–विलेख करावे, ना ही वादीगण को उनकी भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित करें। वादीगण के हक अधिकार हांसिल है कि विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान की गई भूमि रकबा 2.25 हैक्टेयर से अधिक उनके सम्पूर्ण हिस्से 3/20 भाग अर्थात् 2.65 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र से अधिक भूमि रकबा 0.40 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करवाये वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये व उनके नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 16.12.2012 को कुछ भूमाफियां गिरोह के सदस्यों को लेकर विवादग्रस्त भूमि पर आये और वादीगण को धमकी दी कि वे विक्रित भूमि से अधिक भूमि का बेचान करेंगे तथा वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करावयेंगे। इस पर वादीगण ने अपने खाते की नकल निकलवाई तो पता चला एवं उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 20

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 21 के यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 16.12.2012 को दी गई धमकी की वजह से वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार आज दिन तक जारी है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम किशनुपरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय श्रीमान को यह वाद सुन कर इसका निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादीगण ने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भमि वाके ग्राम किशनुपरा, पटवार क्षेत्र किशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 586 / 3 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 590 / 3 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 593 / 1 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 595 / 3 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 1702 / 583 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर के सम्पूर्ण भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम का हिस्सा 32 / 35 भाग को दुरुस्त करते हुए वादीगण को हिस्सा 31 / 280 भाग का व प्रतिवादी संख्या 1 को 225 / 280 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती की जावें तथा प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि भूमि विवादग्रस्त के किसी हिस्से का बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही कोई विक्रय विलेख या अन्य अन्तरण दस्तावेज तस्दीक करवाये तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें, ना ही वादीगण को उनके हक हिस्से से बेदखल करें एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई विक्रय विलेख या अन्तरण दस्तावेज पेश करने पर तस्दीक नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें। प्रतिवादीगण उक्त कृत्य ना ही स्वयं रके तथा ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवाये। अर्थात् राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 11 ता 20 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात् उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2066–2069, प्रदर्श–2 विक्रय पत्र की नकल, प्रदर्श–3 नकल नामान्तकरण, प्रदर्शन–4 मेजरनामा, प्रदर्श–5 नकल निर्णय दिनांक 26.09.2017 की पेश की है व मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी संख्या 1 श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, गवाह श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह व गवाह भंवर सिंह पुत्र मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनुपरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये हैं।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादी संख्या 1 हनुमान सिंह व वादी संख्या 2 ता 5 के पिता / पति शेरसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से 3 / 20 में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 को रकबा 2.25 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान किया गया है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के सम्पूर्ण हिस्से के का ही नामान्तकरण खुलवा लिया। जो नामान्तरकण संख्या 14 दिनांक 01.04.1998 ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा खोला गया था। उक्त नामान्करण संख्या 14 दिनांक 01.04.1998 विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1997 के विपरीत यानि सम्पूर्ण हिस्सा का ही खोला गया है। जिसमें वादीगण वाद पत्र में चाही गई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद पत्र में वर्णित भूमि सम्पूर्ण का तकासमा हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी पृथक से खाता खुल चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम पुत्र गुल्लाराम का हिस्सा 32/35 है तथा कोयली देवी पत्नी मूंगाराम का हिस्सा 3/35 है तथा बटवारे का बाद खातेदारी में खसरा नम्बर 1702/583, 586/3, 590/3, 593/1, 595/3 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर है तथा भूमि का कुल रकबा में से 0.24 हैक्टेयर कोयली देवी तथा प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम के 9 बीघा पक्की यानि 2.25 हैक्टेयर भूमि रहनी चाहिए एवं शेष भूमि वादीगण के हिस्से में रहनी चाहिए।

वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। वादीगण के वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.) में स्थित हाल खसरा नम्बर 583/1623 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 586 रकबा 3.15 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 590 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 592 रकबा 5.77 है0, ख0नं0 593 रकबा 2.36 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 595 रकबा 5.25 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 17.67 है0 भूमि का तकासमा होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आये खसरा नम्बर 1702/583 रकबा 0.08 है0, 586/3 रकबा 0.13 है0, 590/3 रकबा 0.06 है0, 593/1 रकबा 1.86 है0, 595/3 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 32/35 भाग में वादीगण को 31/280 व प्रतिवादीगण संख्या 1 को 225/280 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। उक्त खाते में वर्णित खातेदार कोयली देवी पत्नी मूंगाराम हिस्सा 3/35 को यथावत रखा जाता है व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार दखल नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–20 / 2013

उनवान

उनवान

1. हनुमानसिंह पुत्र अमरसिंह
2. कमला कंवर पत्नी स्व. शेरसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र स्व. शेरसिंह
4. शक्तिसिंह पुत्र स्व. शेरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमला कंवर
5. करणी सिंह पुत्र स्व. शेरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमला कंवर
6. पुष्पा कंवर पुत्री स्व. शेरसिंह
7. नेना कंवर पुत्री स्व. शेरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर राज.

–वादीगण

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र गुल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)
2. उपपंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय, चौमूं, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम
5. अर्जुन पुत्र भागीराथ
6. श्यामाराम पुत्र भुदाराम
7. कमलादेवी पत्नी स्व. सरदारमल
8. दिनेश कुमार पुत्र स्व. सरदारमल
9. राकेश कुमार पुत्र स्व. सरदारमल
10. सुनिता देवी पुत्री स्व. सरदारमल

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर
11. रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह
12. हरिसिंह पुत्र अमरसिंह
13. श्रवणसिंह पुत्र अमरसिंह
14. कमलादेवी पत्नी स्व. छिगनलाल
15. देवीलाल पुत्र छिगनलाल
16. सुरेश पुत्र छिगनलाल
17. सागरमल पुत्र सेवाराम
18. छोटूराम पुत्र छिगनलाल
19. कोयली देवी धर्म पत्नी मूंगाराम

    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तसहील चौमू, जिला जयपुर
20. बाबूलाल पुत्र चुनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सिरसा, तहसील चौमू, जिला जयपयुर।
21. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Deepr
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर).

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–20/2013
उनवान– हनुमानसिंह बनाम मूंगाराम
निर्णय दिनांक– 27.08.2019

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.) में स्थित हाल खसरा नम्बर 583/1623 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 586 रकबा 3.15 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 590 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 592 रकबा 5.77 है0, ख0नं0 593 रकबा 2.36 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 595 रकबा 5.25 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 17.67 है0 भूमि का तकासमा होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आये खसरा नम्बर 1702/583 रकबा 0.08 है0, 586/3 रकबा 0.13 है0, 590/3 रकबा 0.06 है0, 593/1 रकबा 1.86 है0, 595/3 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 2.80 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 32/35 भाग में वादीगण को 31/280 व प्रतिवादीगण संख्या 1 को 225/280 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। उक्त खाते में वर्णित खातेदार कोयली देवी पत्नी मूंगाराम हिस्सा 3/35 को यथावत रखा जाता है व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार दखल नहीं करें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.08.2019 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

मोहर

ओहदा.......... सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–20 / 2013
उनवान– हनुमानसिंह बनाम मूगाराम
निर्णय दिनांक– 27.08.2019

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7. बाबत इजराय हुक्मनामा 8. मुतफरिक	3 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6. बाबत इजराय हुक्मनामा 7. मुतफरिक	1
जोड़	4	जोड़	1

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: